

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग


अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 31.1.07

संख्या-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या--2819 दिनांक 27.03.2006 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 एवं 7 के तहत वांछित सूचना एवं कागजात उपलब्ध कराने हेतु शुल्क निर्धारित किये गये थे । उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क को निम्नवत् संशोधित करते हुए निर्धारित किया जाता है :-

1.	4. अपीलीय प्राधिकार के सतह पर अपील दायर करने हेतु आवेदन	10/-रु. (दस रूपया) प्रति अपील ।
----	---	---------------------------------

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राजीव लोचन)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31.1.07


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी दो सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


सरकार के अपर सचिव ।


ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31.1.07

प्रतिलिपि:- सभी आयुक्त एवं सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31.1.07

प्रतिलिपि:- सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने की कृपा करेंगे ।


सरकार के अपर सचिव ।